प्रेषक,

विनय प्रकाश सिंह,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेरठ।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
मेरठ।

विषयः–<u>1108/LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad/Dated20-05-2020 एवं आपके आदेश दिनांकित 21.05.2020 के अनुपालन में आख्या प्रेषित किये जाने के संबंध में।</u>

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, के पत्रांक 1108/LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad/Dated 20-05-2020 एवं आपके आदेश संख्या 113 दिनांकित 21.05.2020 के सम्बन्ध में मेरठ न्यायालय परिसर के रैड जोन/कन्टेनमैंट जोन के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ, से आख्या आहूत की गयी है, जो संलग्न कर माननीय महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है।

आदर सहित।

भवदीय,

(विनय प्रकाश सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेरठ।

दिनांक : 12.06.2020

<u>सलग्नक</u>–उपरोक्तानुसार।

<u>प्रतिलिपि</u>–श्रीमान नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर विभाग, जिला न्यायालय, मेरठ, को अनुपालन हेतु सादर प्रेषित।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेरठ।

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट
मेरठ।

प्रेष्य,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मेरठ।

संख्या– 1177 / एसटी–नगर / कोविड–19, दिनांक– 12 जून, 2020

Sub. Regarding Machanism/modalities for opening of Courts subordinate to High Court of judicature at Allahabad.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 जिला न्यायाधीश, मेरठ महोदय के पत्र संख्या–1221 / प्रथम, दिनांकित 06.06.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त अपने पत्र दिनांकित 22.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3–2020–डीएम–1 (ए) दिनांक 30.05.2020 के कम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या–1382 / 2020 / सीएक्स–3, दिनांक 31.05.2020 द्वारा कोविड–19 महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में पूर्व से प्रभावी लॉक डाउन दिनांक 01–06–2020 से दिनांक 30–06–2020 तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिए गए हैं।

तत्कम में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय एंव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ के आदेश संख्या–1556 / ओ0एस0डी0–कैम्प / 2020, दिनांक 05.06.2020 के अन्तर्गत 'Containment Zone' एंव 'Buffar Zone' की सूची जारी की गयी है, जिसके कमांक–35 पर कोर्ट कम्पाउण्ड को 'Containment Zone' में उल्लिखित किया गया है, जिसकी प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। उक्त के अतिरिक्त अपर नगर मजिस्ट्रेट (सिविल लाइन), मेरठ के पत्र संख्या–1708 / पेशकार–2020, दिनांकित 12.06.2020 में स्पष्ट किया गया है कि वेर्स्टर्न कचहरी रोड बेगम बाग स्थित असोडा हाउस हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। इसके सन्निकट स्थित कोर्ट परिसर इस हॉट स्पॉट के 'Containment Zone' की सीमा के अन्तर्गत आता है। उक्त पत्र की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

कृपया तद्नुसार आख्या सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजय कुमार तिवारी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
मेरठ।

प्रतिलिपि–

1– मा0 जिला न्यायाधीश, मेरठ महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
मेरठ।

कार्यालय अपर नगर मजिस्ट्रेट(सिविल लाईन) मेरठ।

संख्या 1708/ पेशकार– 2020 दिनांक 12–06–2020.

अपर जिलाधिकारी(नगर)
मेरठ।

Sub-Regarding Machanism / modalities for opening of Courts Subordinate to High Court of Judicature at Allahabad.

महोदय,

अवगत कृपया उपरोक्त अपने पत्र संख्या 1175/एसटी–नगर /कोविड–19 दिनांक 11 जून 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र के कम में अवगत कराना है कि 'कचहरी परिसर (कोर्ट कम्पाउण्ड) मेरठ कण्टेनमेण्ट जोन की सीमा के अर्न्तगत आता है।

आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित।

अपर नगर मजिस्ट्रेट(सि0ला0)
मेरठ।